Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language,
Online ISSN 2348-3083, SJ IMPACT FACTOR 2021: 7.278, www.srjis.com
PEER REVIEWED & REFEREED JOURNAL, FEB-MAR, 2023, VOL-11/56

19 वीं शताब्दी के ब्रिटिश शिक्षा नीतियों में अध्यापक शिक्षा

अभय कुमार शर्मा, Ph. D.
पूर्व-शोधछात्र, शिक्षा संकाय, कमच्छा,
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

Paper Received On: 18 MAR 2023
Peer Reviewed On: 31 MAR 2023
Published On: 1 APRIL 2023

Abstract

19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक, भारत में ब्रिटिश सरकार की अधिकांश नीतियाँ साम्राज्य विस्तार पर ही केंद्रित थीं। शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा बहुत ही कम ध्यान दिया गया था, किंतु इस शताब्दी में शिक्षा के विस्तार पर भी ध्यान दिया जाने लगा। इससे धीरे-धीरे कुशल अध्यापकों की मांग बढ़ी और इस संदर्भ में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तुत नीतियों में विभिन्न सुझावों एवं सिफारिशों को प्रस्तावित किया गया। प्रस्तुत लेख में 19वीं शताब्दी के ब्रिटिश भारत में शिक्षा हेतु प्रस्तुत विभिन्न विवरण पत्रों एवं नीतियों में अध्यापक शिक्षा के विकास हेतु प्रस्तुत की गई सिफारिशों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। जिसके परिणाम स्वरूप धीरे-धीरे तत्कालीन ब्रिटिश भारत में अध्यापकों के प्रशिक्षण पर बल दिया जाने लगा और इस हेतु सरकार एवं निजी संस्थाओं द्वारा अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं को स्थापित किया गया।

मुख्य शब्द: शिक्षा, अध्यापक शिक्षा

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

प्रस्तावना

भारत में अध्यापकों को औपचारिक रूप से प्रशिक्षित करने एवं इस हेतु प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना के विकास का इतिहास अधिक प्राचीन नहीं है। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब विभिन्न मिशनरी संस्थाओं का आगमन हुआ, तो उन्होंने यहाँ पर शिक्षा के प्रसार हेतु चैरिटी स्कूलों के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किंतु इन स्कूलों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य शिक्षा का प्रसार करना नहीं था, बल्कि इनके द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना था। इस संदर्भ में रिक्टर (1908)

Copyright © 2023, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

का कथन है कि - रेवरेण्ड मि० बेंजामिन स्वाट्र्ज ने मद्रास में पुर्तगाली एवं तमिल विद्यार्थियों के लिए एक स्कूल की स्थापना की, जिसमें उन्होंने इन विद्यार्थियों को अंग्रेजी एवं ईसाई धर्म के नियमों को सिखाने की कोशिश की (पृ० 113)। इन मिशनरियों में एक नाम मिस्टर जिगेनबल्ग का आता है, जिन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर कई मिशनरी एवं शैक्षिक कार्यों को किया। इन कार्यों में चैरिटी स्कूलों की स्थापना के साथ ही साथ अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान भी शामिल था। उन्होंने इस प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना वर्ष 1716 ई० में ट्रांक्वेबार में किया (रिक्टर, 1908, पृ० 109; नुरुल्लाह एवं नायक, 1943, पृ० 46)। मि० जिगेनबल्ग के अतिरिक्त कई अन्य मिशनरियों ने भी चैरिटी स्कूलों की स्थापना की। ये मिशनरी, इस शताब्दी के अंत तक सक्रिय रुप से कार्य करते रहे, किंतु अब उन्हें विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ये कठिनाइयाँ कंपनी सरकार द्वारा अपनाई गई सख्त धार्मिक तटस्थता की नीति के कारण उत्पन्न हुई थीं। इस नीति ने सकारात्मक रूप से मिशनरी प्रयासों को हतोत्साहित किया। इस समय तक कंपनी अपने साम्राज्य के विस्तार पर ही ध्यान दे रही थी, किंतु अब इन्होने शिक्षा के प्रसार की ओर भी ध्यान देना प्रारंभ किया। इस दिशा में वारेन हेस्टिंग एवं बनारस के रेजीडेंट जोनाथन डंकन ने महत्वपूर्ण कार्य किया। हालांकि इनके द्वारा किए गए कार्यों का मुख्य उद्देश्य हिंदू व मुस्लिम व्यक्तियों को हिंदू व मुस्लिम कानूनों की व्याख्या करने के लिए अंग्रेज जजों के सहायक के रूप में प्रशिक्षित करना था (नुरुल्लाह एवं नायक, 1943, पृ० 47)। इसके उपरांत कंपनी के अधिकारियों द्वारा यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में धीरे-धीरे परिवर्तन किया गया। इसके अंतर्गत विभिन्न आयोगों एवं विभागों का गठन किया गया। इन आयोगों द्वारा शिक्षा के विकास हेतु विभिन्न सुझावों को प्रस्तुत किया गया। इसके साथ ही साथ इन आयोगों द्वारा योग्य अध्यापकों की आवश्यकता को भी महसूस किया गया और इस दिशा में भी विभिन्न सुझावों को प्रस्तुत किया गया। परिणाम स्वरुप अध्यापकों के प्रशिक्षण एवं इस हेतु प्रशिक्षण स्कूलों की स्थापना का मार्ग खुलता गया।

Copyright © 2023, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

उपरोक्त पृष्ठभूमि के आधार पर प्रस्तुत लेखा में 19वीं शताब्दी के विभिन्न चतुर्थकों में अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु ब्रिटिश नीतियों में की गई सिफारिशों का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

19वीं शताब्दी में अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु ब्रिटिश नीतियों में की गई संस्तुतियों का विश्लेषण

1. 19वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थक (1801-1825) में ब्रिटिश नीतियों में अध्यापक शिक्षा

19वीं शताब्दी का यह एक ऐसा दौर था, जब भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार विभिन्न मिशनरी संस्थाओं द्वारा किया जा रहा था। इनमें प्रमुख लंदन मिशनरी सोसायटी, चर्च मिशनरी सोसायटी, अमेरिकन मिशनरी सोसायटी, स्कॉटिश मिशनरी सोसायटी आदि प्रमुख थे। इन संस्थाओं द्वारा किए गए प्रयासों के फलस्वरूप स्कूलों की स्थापना में तीव्र वृद्धि हुई। इस चतुर्थक के प्रारंभ तक जहां ब्रिटिश सरकार मात्र अपने साम्राज्य के विस्तार पर ध्यान दे रही थी, अब वह शिक्षा के प्रसार की ओर भी ध्यान देने लगी। इस संदर्भ में लॉर्ड मिंटो द्वारा 6 मार्च 1811 को प्रस्तावित विवरण पत्र से ज्ञात होता है कि उन्होंने बनारस में स्थापित संस्कृत कॉलेज की तर्ज पर दो अन्य कॉलेजों को खोलने की सिफारिश की (शार्प, 1920, पृ० 20)। इसके दो वर्ष बाद 1813 ई० में ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट-1813 आया। इसके धारा - 43 में कंपनी को भारत में शिक्षा के प्रसार का उत्तरदायित्व सौंपा गया और साहित्य के पुनरुद्धार और उसकी उन्नति के लिए भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने तथा भारत के ब्रिटिश प्रांतों में निवास करने वाले लोगों के ज्ञान का विकास करने के लिए प्रति वर्ष एक लाख रु० व्यय करने का प्रावधान किया गया(पृ० 22)। इस प्रावधान के बाद कंपनी के अधिकारियों द्वारा स्वदेशी शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाने लगा। यहां के ग्रामीण स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के संबंध में 2 अक्टूबर 1815 को लॉर्ड मायर ने अपने विवरण पत्र में कहा कि ये लोग एक छोटे से वजीफे के लिए पढ़ना, लिखना और अंकगणित की मूल बातें सिखाते हैं, जो किसी भी व्यक्ति के साधन की पहुंच के भीतर है और जो निर्देश देने की उनमें योग्यता है, वह गांव के जमींदार, मुनीम और दुकानदारों के लिए पर्याप्त

Copyright © 2023, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

थी। लॉर्ड मायर चाहते थे कि सरकार के हस्तक्षेप या अधीक्षण द्वारा मौजूदा ट्यूशन के सुधार हेतु निर्देश दिए जाएँ। इसके अतिरिक्त इस देश में शिक्षा के सुधार हेतु विभिन्न योजनाओं को ढाका, पटना, मुर्शिदाबाद स्टेशनों पर गठित समितियों को विचार हेतु भेजने का भी सुझाव दिया। इसी के साथ दो प्रायोगिक स्कूल एक हिंदुओं के लिए एवं दूसरा मुस्लिमों के लिए, प्रत्येक जिले में एक समिति के पर्यवेक्षण में स्थापित करने का प्रस्ताव दिया (पृ० 24-27)।

19वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थक में ब्रिटिश सरकार की नीतियों में सामान्य शिक्षा हेतु स्कूलों की स्थापना पर अधिक ध्यान दिया गया किंतु इन विद्यालयों में पढ़ाने वाले अध्यापकों के प्रशिक्षण पर बहुत कम ध्यान दिया गया था।

2. **19वीं शताब्दी के द्वितीय चतुर्थक (1826-1850) में ब्रिटिश नीतियों में अध्यापक शिक्षा**

19वीं शताब्दी के दूसरे चतुर्थक में ब्रिटिश सरकारें अपनी नीतियों में अध्यापकों के प्रशिक्षण एवं इस हेतु प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना पर ध्यान देना प्रारंभ कर दिए थे। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मद्रास के गवर्नर सर थॉमस मुनरो द्वारा उठाया गया। इन्होंने 10 मार्च 1826 ई० को एक विवरण पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें सामान्य शिक्षा के साथ ही अध्यापकों की स्थिति एवं उनके प्रशिक्षण की भी चर्चा की। इस संदर्भ में उन्होंने अपने विवरण पत्र में लिखा कि प्रत्येक छात्रों द्वारा फीस के रूप में चार से छः या आठ आने दिए जाते हैं और अध्यापकों को सामान्यतः 6 से 7 रु० मासिक वेतन प्राप्त होता है, जो इस व्यवसाय को प्रेरित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसका एक कारण गरीबी को बताते हुए, उन्होने इसके समाधान हेतु अनुदान देने की सिफारिश की। इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि सार्वजनिक कार्यालयों में शिक्षित व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए वर्तमान में बेहतर निर्देश देने वाले अध्यापक समूहों की आवश्यकता है। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को आजीविका हेतु पर्याप्त खर्च देना होगा। इस हेतु सरकार को एक सामान्य भत्ता देने की सिफारिश की। अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक स्कूल के संदर्भ में, उन्होंने कहा कि- मद्रास स्कूल बुक सोसाइटी की समिति द्वारा 25 अक्टूबर 1824 के पत्र में जो प्रस्ताव दिया गया था, उस संदर्भ में उन्हें

Copyright © 2023, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

मासिक रूप से रु० 700 दिया जाना चाहिए, जो अध्यापकों के वेतन भुगतान एवं प्रेस के खर्च के लिए है। आगे उन्होंने यह भी प्रस्ताव दिया कि प्रत्येक कलेक्ट्रेट में दो प्रधान विद्यालय, एक हिंदुओं के लिए एवं दूसरा मुसलमानों के लिए खोला जाना चाहिए। इसके बाद जैसा कि अध्यापक मिलते हैं, हिंदू स्कूलों को बढ़ाया जा सकता है, जिससे प्रत्येक तहसील को एक या प्रत्येक कलेक्ट्रेट को 15 स्कूल दिए जा सकें (शार्प, 1920, पृ० 74)।

1826 ई० से 1840 ई० के दौरान देश के विभिन्न प्रांतों में भारतीय एवं पाश्चात्य शिक्षा को लेकर एक विवाद धीरे-धीरे उग्र रूप लेने लगा था। इस विवाद को सुलझाने के लिए भारत के तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा टी०बी० मैकाले की नियुक्ति की गई। इन्होंने अपने विवरण पत्र में अंग्रेजी शिक्षा की वकालत की और इसे भारतीय शिक्षा से अधिक श्रेष्ठ बताया। इनके द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों से यह विवाद नहीं सुलझ पाया। इस विवाद को लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा 1840 ई० तक उनकी अपनी सूझबूझ द्वारा सुलझाया जा सका। इस विवाद के दौरान अध्यापकों के प्रशिक्षण पर कम ध्यान दिया गया। इस दिशा में बॉम्बे प्रांत में 1845 के 'रूल एंड रेगुलेशन एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट्स अंडर द बोर्ड ऑफ एजुकेशन' में कुछ प्रावधान किए गए। इसमें स्कूल मास्टर के प्रशिक्षण हेतु एलफिंस्टन संस्थान में यहां के प्रोफेसरों द्वारा एक मास्टर और अधीक्षक के अधीन एक नॉर्मल स्कूल स्थापित करने की बात की गई, जिसमें 15 मराठी, 15 गुजराती और 10 कनारी ऐसे विद्यार्थी शामिल होंगे जिनकी आयु 15 से 20 वर्ष होगी। प्रत्येक विद्यार्थियों को वजीफा के रूप में रु०5 से अधिक नहीं दिया जाएगा और इन्हें स्वयं को नियमित रूप से कक्षा में उपस्थित होने एवं निर्धारित निर्देशों का पालन करने के लिए 3 वर्ष तक बाध्य करना होगा। प्रत्येक विद्यार्थी को एक लिखित अनुबंधन में भी शामिल होना होगा। इसके तहत जब वे मास्टर का दायित्व निभाने के योग्य हो जायेंगे तो वे बोर्ड के लिए 3 वर्ष तक अपनी सेवा प्रदान करेंगे और यदि वे इसके लिए मना करते हैं, तो अध्ययन की अवधि में प्राप्त संपूर्ण राशि वापस करनी होगी। जो विद्यार्थी स्वयम् को अक्षमता या

Copyright © 2023, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

असावधानी के कारण अयोग्य साबित करेंगे उन्हें कक्षा से हटा दिया जाएगा(रिचे, 1922, पृ० 164-165)।

3. 19वीं शताब्दी के तृतीय चतुर्थक (1851-1875) में ब्रिटिश नीतियों में अध्यापक शिक्षा

19वीं शताब्दी के इस तृतीय चतुर्थक के प्रारंभ में प्रांतीय सरकारों द्वारा स्कूलों की स्थापना एवं विशेष रूप से अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु नॉर्मल स्कूलों की स्थापना पर जोर दिया गया। इस दिशा में मद्रास के गवर्नर सर हेनरी पोटिंगर ने 6 जून 1851 ई० के अपने विवरण पत्र में यह आशा जताई कि जैसे ही उचित स्कूल मास्टर मिलते हैं, मद्रास के कुछ बड़े शहरों में प्रांतीय स्कूलों की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने प्राथमिकता के साथ इस प्रांत में एक नॉर्मल स्कूल के गठन की सिफारिश की, जो विशेष रूप से प्रांतीय एवं अन्य मदरसों में योग्य स्कूल मास्टर को नियोजित करने के लिए था। इस हेतु उन्होने यह सुझाव दिया कि वे सभी व्यक्ति जो प्रांतीय स्कूलों में जाएंगे, उनके पास अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, इसके साथ ही साथ उन्हें जिस जिला में भेजा जाएगा वहां की स्थानीय भाषा एवं बोली से भी उन्हें पूर्ण परिचित होना होगा। इस योग्यता की जाँच हेतु सुझाया कि जिस किसी को उस स्कूल में, स्कूल के अधीक्षण एवं देखभाल के लिए भेजा जाना है, उसे तब तक नहीं भेजा जाएगा जब तक की परीक्षा के माध्यम से यह साबित न हो जाए कि वे उस प्रांत की भाषा में पढ़ाने के लिए योग्य हैं (रिचे, 1922, पृ० 204)। इसी वर्ष 5 अगस्त 1851 ई० को मि० इलियट ने भी अपने विवरण पत्र में मद्रास प्रांत में योग्य स्कूल मास्टरों को लाने के लिए एक नॉर्मल स्कूल के गठन का सुझाव दिया(पृ०212)।

वर्ष 1853 ई० में ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर एक्ट आया, जिसमें भारतीय शिक्षा में सुधार लाने हेतु एक जांच समिति के गठन का सुझाव दिया गया। इसके पश्चात 19 जुलाई 1854 ई० को द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने सम्पूर्ण भारत के लिए एक शिक्षा योजना प्रस्तुत की। इसके अध्यक्ष सर चार्ल्स वुड थे। इस कारण द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा प्रस्तुत यह डिस्पैच 'वुड डिस्पैच' के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्नाकार्टा के नाम से भी जाना जाता

Copyright © 2023, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

है। इस डिस्पैच के सन्दर्भ में लार्ड डलहौजी ने अपने विवरण पत्र में घोषित किया कि यह सम्पूर्ण भारत के लिए शिक्षा की एक ऐसी योजना है, जो स्थानीय या सर्वोच्च सरकार की तुलना में कहीं अधिक व्यापक है, जो कभी भी सुझाई जा सकती है (रिचे, 1922, पृ०364)। इस डिस्पैच के पैरा 17 से 21 में शिक्षा विभाग के गठन और इसके संचालन हेतु विस्तार से सुझाव दिया गया है, जो निम्नलिखित हैं-

- शिक्षा के अधीक्षण और निर्देशन को अधिक व्यवस्थित स्तर पर रखने के लिए, और इस हेतु भारत के विभिन्न प्रेसीडेंसी(प्रांतों) में कम्पनी सरकारों की मशीनरी के एक हिस्से के रूप में एक शैक्षिक विभाग बनाया जाये। इसके अन्तर्गत प्रत्येक प्रेसीडेंसी और लेफ्टीनेंट-गवर्नर के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जिसे शिक्षा से जुड़े व्यवसाय के प्रबंधन के लिए विशेष रूप से प्रभार दिया जाएगा, और इसके संचालन के लिए वह सरकार के प्रति तुरन्त जिम्मेदार होगा।
- भविष्य के लिए निरीक्षण की एक पर्याप्त प्रणाली भी शिक्षा प्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा होगा, इस हेतु पर्याप्त संख्या में योग्य निरीक्षकों को नियुक्त किया जाए, जो समय-समय पर उन कॉलेजों और स्कूलों की स्थिति पर रिपोर्ट देंगे, जो सरकार द्वारा समर्थित और प्रबंधित हैं और साथ ही साथ ऐसे उपाय भी किये जाएँ जिसके द्वारा सरकारी निरीक्षण के अन्तर्गत लाए जासकें। वे इन संस्थानों के विद्वानों की परीक्षा आयोजित करेंगे, या सहायता करेंगे, और आम तौर पर, उनकी सलाह से, पूरे देश में कालेजों और स्कूलों के संचालन में प्रबंधकों और स्कूल-मास्टरों की सहायता करेंगे। इसके अलावा, शैक्षिक विभागों के लिए क्लर्कों और अन्य अधिकारियों के रूप में एक उचित कर्मियों की आवश्यकता होगी,
- निरीक्षकों के कार्यवाही की रिपोर्ट समय-समय पर बनाई जानी चाहिए और इन्हें फिर से शिक्षा विभाग के प्रमुखों की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किया जाना चाहिए। जो सांख्यिकीय

Copyright © 2023, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

विवरणियों (भारत के सभी भागों में समान रूपों में तैयार किए जाने के लिए) और शिक्षा से संबंधित एक सामान्य गुणों की अन्य जानकारी के साथ हमें प्रेषित की जानी चाहिए।

- इस डिस्पैच की प्रतियां फोर्ट सेंट जॉर्ज और बॉम्बे की सरकारों को भेजी जायेंगी, और उन्हें निर्देश दिया जायेगा कि वे अपने-अपने प्रेसीडेंसी में शिक्षा के अधीक्षण और निरीक्षण के लिए अस्थायी व्यवस्था करें। इस तरह की व्यवस्था के लिए वे मंजूरी हेतु सूचित करेंगे।
- शैक्षिक विभागों के प्रमुखों, निरीक्षकों और अन्य अधिकारियों के चयन में, ऐसे व्यक्तियों की सेवाओं को सुरक्षित करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा जो न केवल अपने चरित्र, स्थिति और अधिग्रहण से, हमारी सेवा करने के लिए सर्वोत्तम हों, बल्कि भारत के मूल निवासियों के विश्वास को नियंत्रित करने वाले भी हों।
- शिक्षा विभाग के प्रथम प्रमुख और साथ ही कुछ निरीक्षक हमारी सिविल सेवा के सदस्य होने चाहिए, क्योंकि पहली बार में इस तरह की नियुक्तियों से अनुमान लगाया जा सकता है कि इन अधिकारियों को किस स्थान पर रखा जायेगा और हम शिक्षा के ऐसे विषय को जिसे महत्व देते हैं, उसे दिखाने के लिए, और साथ ही, उनमें से ऐसे व्यक्तियों को चुनने के लिए जो कर्तव्य के प्रदर्शन के लिए सबसे योग्य हों। लेकिन हम चाहते हैं कि न तो इन अधिकारियों, और न ही शिक्षा से जुड़े किसी अन्य को, उस सेवा के सदस्यों द्वारा आवश्यक रूप से भरा जाए, जो उनके लिए सबसे उपयुक्त हो चाहे वह यूरोपीय हो या भरत के मूल निवासी ।
- उनके पारिश्रमिक का पैमाना इतना तय किया जाएगा कि सार्वजनिक रूप से उनके द्वारा निभाए जाने वाले महत्वपूर्ण कर्तव्यों को मान्यता दी जा सके (पृ०369-370)।

इस डिस्पैच में भारतीय शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में उन कमियों को इंगित किया गया, जो कभी इंग्लैंड में व्याप्त थीं। वहाँ पर जब शिक्षा में सुधार के लिए व्यवस्थित प्रयास किए जाने लगे, तो मुख्य दोषों में से एक योग्य स्कूल-मास्टरों की अपर्याप्त संख्या और शिक्षण की अपूर्ण पद्धति पाई गई थी। इसके पश्चात् स्कूल-मास्टरों के प्रशिक्षण के लिए नार्मल और मॉडल स्कूलों की नींव रखी गई और

Copyright © 2023, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

प्राथमिक स्कूलो के संगठन, अनुशासन और निर्देश के लिए सर्वोत्तम तरीकों से उदाहरण प्रस्तुत किया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा कुछ इसी प्रकार की कमी भारत में अधिक स्पष्ट रूप से महसूस की गई, क्योंकि ट्यूशन के काम के लिए उचित रूप से शिक्षित व्यक्तियों को खोजने में कठिनाई अधिक थी और वे भारत के प्रत्येक प्रेसीडेंसी में मास्टरों के लिए प्रशिक्षण स्कूलों और कक्षाओं की स्थापना को यथाशीघ्र देखना चाहते थे। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उन्होने सुझाया कि पूरी तरह से नए स्कूलों की स्थापना करने की तुलना में, कम कठिनाई के साथ कुछ मौजूदा संस्थानों को पूरी तरह या आंशिक रूप से अनुकूलित करा सकते हैं (रिचे, 1922, पृ०383)।

इस उद्देश्य के लिए ग्रेट ब्रिटेन में जो योजना अपनाई गई थी, और जिसे भारत के लिए अपनाया जाना था, उस योजना के सम्बन्ध में वुड डिस्पैच में शामिल किए गए मुख्य सुझाव निम्नलिखित हैं-

- छात्राध्यापक का चयन और वजीफा प्रदान करना (उन स्कूलों के मास्टरों को एक छोटा सा भुगतान देना, जिसमें वे स्कूल समय के अन्तर्गत अपने अनुदेशन के लिए कार्यरत हैं),
- यदि वे नार्मल स्कूलों के योग्य साबित होते हैं, तो उन्हे उन नार्मल स्कूलों में प्रशिक्षण पूरा करने पर प्रमाण पत्र जारी किया जाये,
- जब उन्हें बाद में स्कूल-मास्टर के रूप में नियोजित किया जाये तो उन्हें पर्याप्त वेतन दिया जाये।
- यह प्रणाली भारत में सरकारी कॉलेजों और स्कूलों दोनों में और सरकारी निरीक्षण के तहत लाए गए सभी संस्थानों में सहायता अनुदान के माध्यम से लागू किया जाये।
- नॉर्मल स्कूल के छात्राध्यापकों और छात्रों के लिए वजीफे की राशि बड़ी सावधानी से तय की जानी चाहिए। पहले वाले को उस राशि से अधिक सामान्य भत्ता मिलना चाहिए, जिसे वे स्कूल छोड़ने पर अर्जित करेंगे, और बाद वाले को वजीफा उसी सिद्धांत द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए जो हमने छात्रवृत्ति के संबंध में निर्धारित किया है।

Copyright © 2023, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

- इन उपायों को लागू करने के लिए, आपको भारत के मूल निवासियों के कई वर्गों की स्थिति और संभावनाओं को ध्यान में रखना होगा, जो अपने साथी देशवासियों को शिक्षित करने के महत्वपूर्ण कर्तव्य को निभाने के लिए तैयार हैं।
- शैक्षिक सेवाओ के लिए 1831 ई० के पेंशन नियमों के देर से विस्तार को, इस संबंध में संशोधन के बाद अपनाने की आवश्यकता हो सकती है; और हमारी इच्छा है कि भविष्य के लिए स्कूल-मास्टर का पेशा, भारत के मूल निवासियों को ऐसे प्रलोभन दे सकता है जैसा कि सार्वजनिक सेवा की अन्य शाखाओं में आयोजित किया जाता है।
- स्कूल-मास्टरों के ऐसे वर्ग का प्रावधान, जैसा कि हम देखना चाहते हैं, समय का काम होना चाहिए और "स्वदेशी स्कूलों" को प्रोत्साहित करने में, हमारा वर्तमान उद्देश्य उन शिक्षकों को बेहतर बनाना होना चाहिए, जिन्हें हम अपने अधिकार में पाते हैं, और इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस वर्ग के व्यक्तियों की शत्रुता को भड़काने के लिए नही, जिसका प्रभाव निम्न वर्गों के मन पर बहुत अधिक होता है, जहां तक संभव हो इससे बचा जाए। इसके अलावा, उन्हें नार्मल स्कूलों और कक्षाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जो इसके बाद अध्यापकों के इस वर्ग के लिए स्थापित किए जा सकते हैं।
- स्कूल-मास्टरों के प्रशिक्षण के लिए समान महत्व स्थानीय स्कूल-पुस्तकों का प्रावधान है, जो स्कूलों की निचली कक्षाओं में अध्ययन का उद्देश्य होने से यूरोपीय जानकारी प्रदान करेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस दिशा में पिछले वर्षों में कुछ कार्य किया गया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है और हम मानते हैं कि 1825 ई० में श्री एम० एलफिंस्टन द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रम को अपनाने से कमियों को आसानी से और तेजी से पूरा किया जा सकता है, अर्थात्- " विशेष पुस्तकों का सबसे अच्छा अनुवाद या निर्दिष्ट भाषाओं में सर्वोत्तम प्राथमिक ग्रंथों को विज्ञापित किया जाये और इसके लिए उदारतापूर्वक पुरस्कार दिया जाये(पृ० 383-384)।

Copyright © 2023, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

वुड डिस्पैच में अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु जो सुझाव दिए गए उसके अनुपालन में बंगाल सरकार द्वारा भारत सरकार को 16 नवंबर 1854 को लिखे एक पत्र में कहा गया कि वर्तमान में संस्कृत महाविद्यालय में हमारे लिए बहुत अच्छे स्कूल मास्टरों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, जो कि प्रधानाध्यापक के हाथों में बंगाल के लिए नॉर्मल स्कूल की तरह होता जा रहा है। किंतु बिहार के लिए एक नॉर्मल स्कूल की स्थापना विचारणीय है। इन्होंने यह भी सुझाया कि इस क्षेत्र में अब जो भी प्रयोग किए जाएँ, वे पहले सरकार की एजेंसियों द्वारा किए जाएँ और सरकार को चाहिए कि इसे अपने हाथों में ले ले (रिचे,1922, पृ० 102)। 30 दिसंबर 1854 ई० को लॉर्ड डलहौजी द्वारा एक विवरण पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन्होने कहा कि नॉर्मल स्कूलों की स्थापना बहुत ही आवश्यक है और स्थानीय सरकारों को बिना किसी संकोच के इस संबंध में डिस्पैच के सुझावों को अपनाने में प्रसन्नता होगी। इस व्यवसाय को वांछनीय बनाने की पर्याप्त आवश्यकता और महत्व को देखते हुए स्थानीय सरकारों को इंग्लैंड से योग्य व्यक्तियों को बुलाने का अधिकार दिया जाना चाहिए और इन्हें हमारे कॉलेजों में प्रोफेसर के रूप में सेवा देने हेतु भारत आने वाले व्यक्तियों के बराबर उदार वेतन देने की कोशिश करनी चाहिए(पृ० 406)। 13 फरवरी 1855 को भारत सरकार द्वारा बंगाल सरकार को लिखे पत्र में परिषद के गवर्नर जनरल स्थानीय भाषा के शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु नॉर्मल स्कूलों को स्थापित करने की आवश्यकता से बहुत प्रभावित हुए और इस संबंध में लेफ्टिनेंट गवर्नर को गंभीरतापूर्वक ध्यान देने की सिफारिश की (पृ० 103)।

अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु कंपनी के अधिकारियों द्वारा दिए गए सुझावों को लागू करने के बाद भी अध्यापकों की कमी को लगातार महसूस किया जा रहा था। इस संबंध में 7 अप्रैल 1859 ई० के डिस्पैच में कहा गया कि - जब से भारत में शिक्षा की प्रगति को बढ़ावा देने के उपाय किए गए हैं, स्कूलों के विभिन्न वर्गों के लिए कुशल अध्यापकों की कमी से बड़ी कठिनाई का अनुभव किया गया है, न केवल उच्च नियुक्तियों के लिए बल्कि मिडिल स्कूलों के प्रभार के लिए भी। स्थानीय स्कूलों के लिए स्थानीय आपूर्ति स्पष्ट रूप से अपरिहार्य थी(पृ० 434)। इसके साथ ही इस डिस्पैच में यह भी आशंका

Copyright © 2023, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

व्यक्त की गई थी कि प्रशिक्षण संस्थाओं को उस सीमा तक नहीं चलाया गया, जिस पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने विचार किया था। 1854 ई० के डिस्पैच में निहित एंग्लोवर्नाकुलर के साथ-साथ वर्नाकुलर स्कूलों के लिए भी प्रशिक्षण संस्थाओं की आवश्यकता से महामहिम सरकार भी सहमत हैं। जिन विद्यालयों में अंग्रेजी पढ़ाया जाता है उनमें प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी के कारण अंग्रेजी शिक्षण में आई लगातार अक्षमता को सभी रिपोर्टों में दर्शाया गया है। इस कमी की पूर्ति हेतु एक मात्र साधन इस देश के सक्षम व्यक्तियों की नियुक्ति है और मैं अनुरोध करता हूँ कि इस प्रयोजन हेतु आप जिन उपायों का प्रस्ताव कर सकते हैं उनके बारे में निश्चित विवरण प्रस्तावित करें(पृ० 442)।

उपरोक्त प्रयासों के परिणाम स्वरूप अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु नॉर्मल स्कूलों की स्थापना में वृद्धि हुई। इस चतुर्थक के अंत तक न केवल भारत सरकार बल्कि स्थानीय सरकारों के साथ ही साथ निजी संस्थाओं एवं मिशनरियों ने भी इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

4. 19वीं शताब्दी के चतुर्थ चतुर्थक (1876-1900) में ब्रिटिश नीतियों में अध्यापक शिक्षा

19वीं शताब्दी के इस अंतिम चतुर्थक के प्रारंभ तक भारत के लगभग सभी प्रांतों में अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु नॉर्मल स्कूलों की स्थापना तीव्र गति से हुई थी, किंतु 1875 ई० के बाद इन स्कूलों की संख्या में लगातार कमी आई। इस दौरान वर्ष 1880 ई० में लॉर्ड रिपन को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। इन्होंने यहां की शैक्षिक गतिविधियों की जांच हेतु 3 फरवरी 1882 ई० को भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी सभा के सदस्य सर विलियम हंटर को इस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सर विलियम हंटर के नाम पर इस आयोग को हंटर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इस आयोग ने शिक्षा के विभिन्न बिंदुओं के संदर्भ में अपने सुझाव एवं सिफारिशों को प्रस्तुत किया था। इनके सुझावों में प्रमुख था शिक्षा को स्थानीय निकायों निकायों को सौंप देना। ऐसा ही सुझाव अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु भी दिया जो निम्नलिखित है-

Copyright © 2023, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

1. नॉर्मल स्कूलों की आपूर्ति चाहे वह सरकारी हो या सहायता प्राप्त इतना स्थानीयकृत हो कि प्रत्येक निरीक्षकों के अधीन आने वाले मंडलों (डिवीजन) के सभी प्राथमिक विद्यालयों, चाहे वह सरकारी हो या सहायता प्राप्त, उनकी स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा कर सके। प्राथमिक शिक्षा के लिए आवंटित प्रांतीय निधियों पर प्रथम अधिकार इसके निर्देशन एवं निरीक्षण की लागत और पर्याप्त नॉर्मल स्कूलों के प्रावधान का है (रिपोर्ट ऑफ द एजुकेशन कमीशन,1882, पृ० 175)।
2. शिक्षण के सिद्धांत और अभ्यास में एक परीक्षा आयोजित की जाए, जिसमें सफलता के बाद ही किसी भी सरकारी या सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक के रूप में स्थाई रोजगार हेतु एक शर्त जोड़ा जाए (पृ० 254)।
3. एक नॉर्मल स्कूल में 'शिक्षण के सिद्धांतों और अभ्यास में अनुदेशन' के पाठ्यक्रम में भाग लेने के इच्छुक स्नातकों को दूसरों की तुलना में प्रशिक्षण के एक छोटे पाठ्यक्रम से गुजरना पड़ेगा (पृ० 254)।

आयोग द्वारा दि गई सुझावों काई उपरान्त अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना में जो कमी आई थी, उसमें एक बार पुन: वृद्धि आरम्भ हुई, जो 19वीं शताब्दी के अन्त तक जारी रही।

निष्कर्ष

उपरोक्त विवरणों के आधार पर निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ब्रिटिश भारत में अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु अध्यापक शिक्षा का सुचारू रूप से प्रारम्भ नहीं हुआ था। इस शताब्दी के प्रारम्भ में ब्रिटिश भारत के विभिन्न प्रांतों के गवर्नर द्वारा इस दिशा में सुझाव एवं सिफारिशें प्रस्तावित की गईं । इसके अन्तर्गत सर थॉमस मुनरो, सर हेनरी पोटिंगर एवं मि० इलियट ने अपने विवरण पत्रों में बेहतर प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता पर बल देते हुए, इस हेतु एक सामान्य भत्ते एवं नार्मल स्कूलों के गठन का सुझाव प्रस्तुत किया। वर्ष 1854 ई० में

Copyright © 2023, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

ब्रिटिश सरकार द्वारा सम्पूर्ण ब्रिटिश भारत की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए वुड डिस्पैच लाया गया, जिसमें शिक्षक शिक्षा हेतु व्यवस्थित रूप से सुझाव प्रस्तुत किया गया। इसके उपरान्त वर्ष 1859 ई० में प्रस्तुत डिस्पैच में प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी को बताते हुए इस कमी की पूर्ति हेतु इस देश के सक्षम व्यक्तियों की नियुक्ति सुझाव प्रस्तुत किया गया। इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश भारत के संपूर्ण प्रांतों में अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु नार्मल स्कूलों की स्थापना में तीव्र वृद्धि हुई। तदुपरांत 1875 ई० तक प्रशिक्षण हेतु नार्मल स्कूलों की स्थापना में तीव्र वृद्धि हुई, किंतु इसके उपरान्त नॉर्मल स्कूलों की स्थापना में हो रही वृद्धि में कमी आने लगी। इसी समय 1882 ई० में हंटर कमीशन का गठन किया गया जिसमें नॉर्मल स्कूलों की आपूर्ति को इतना स्थानीयकृत करने का सुझाव प्रस्तुत किया गया, जिससे प्रत्येक निरीक्षकों के अधीन आने वाले मंडलों के सभी विद्यालयों की स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इसके साथ ही साथ शिक्षण के सिद्धांत और अभ्यास में परीक्षा आयोजित करने की भी सिफारिश की गई। परिणाम स्वरूप संपूर्ण भारत के ब्रिटिश प्रांतों में अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की संख्या में वृद्धि हुई जो आने वाली 20वीं शताब्दी में अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व उन्न्ति हेतु मजबूत आधारशिला प्रस्तुत की।

सन्दर्भ ग्रन्थ

भारत सरकार (1962). *विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग*. नई दिल्ली: शिक्षा मंत्रालय, पृ० 700.

नुरुल्लाह एवं नायक (1943). *हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड*. बम्बई: मैकमिलन एण्ड कम्पनी लिमिटेड, पृ० 643.

रिचे, जे०ए० (1922). *सेलेक्शन फ्रॉम एजुकेशनल रिकॉर्ड्स, पार्ट 2 (1840-1859)*. कलकत्ता: सुपरिंटेंडेंट गवर्नमेंट प्रिंटिंग, पृ० 504.

शार्प, एच० (1920). *सेलेक्शंस फ्रॉम एजुकेशनल रिकॉर्ड्स पार्ट 1 (1781-1839)*. कलकत्ता: सुपरिंटेंडेंट गवर्नमेंट प्रिंटिंग, पृ० 225.

रिक्टर, डी०डी० जु० (1908). *ए हिस्ट्री ऑफ मिशन इन इंडिया* (एस०एच० मूरे,अनुवादक). न्यूयॉर्क: फ्लेमिंग एच० रीवेल कम्पनी, पृ० 469.

Copyright © 2023, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

सत्थीअनाधन, एस० (1894). *हिस्ट्री ऑफ़ एजुकेशन इन मद्रास प्रेसिडेंसी*. मद्रास: श्रीनिवास वरदाचारी एण्ड कम्पनी, पृ० 295.

नार्थ वेस्टर्न एण्ड अवध एजुकेशन कमिशन रिपोर्ट (1884). *द नार्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एण्ड अवध प्रोविंशियल कमेटी विथ एविडेंस टेकन बिफोर द कमेटी एण्ड मेमोरियल एड्रेस्ड टू द एजुकेशन कमिशन*. कलकत्ता: सुपरिंटेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट प्रिंटिंग, पृ० 491.

बॉम्बे एजुकेशन कमिशन रिपोर्ट (1884). *बॉम्बे प्रोविंशियल कमेटी (खण्ड 1)*. कलकत्ता: सुपरिंटेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट प्रिंटिंग, पृ० 222.

बंगाल एजुकेशन कमिशन रिपोर्ट (1884). *द बंगाल प्रोविंशियल कमेटी विथ एविडेंस टेकन बिफोर द कमेटी एण्ड मेमोरियल एड्रेस्ड टू द एजुकेशन कमिशन*. कलकत्ता: सुपरिंटेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट प्रिंटिंग, पृ० 416.

मद्रास एजुकेशन कमिशन रिपोर्ट (1884). *द मद्रास प्रोविंशियल कमेटी विथ एविडेंस टेकन बिफोर द कमेटी एण्ड मेमोरियल एड्रेस्ड टू द एजुकेशन कमिशन*. कलकत्ता: सुपरिंटेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट प्रिंटिंग, पृ० 216.

एजुकेशन कमीशन रिपोर्ट (1883). *रिपोर्ट ऑफ द एजुकेशन कमीशन-1882(भाग एक)*.कलकत्ता: मैनेजर ऑफ पब्लिकेशन, पृ० 350.

Copyright © 2023, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language